518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SPORTS WING: COORDN. CELL
SIRI FORT SPORTS COMPLEX, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI-110 049

NIP = 02/PDKP/DDA/2023-24

Notice Inviting Proposals to provide Basketball Coaching at Poorv Delhi Khel Parisar, DDA.

Delhi Development Authority, Poorv Delhi Khel Parisar, invites applications from professional sports coaches / agencies for conducting **basketball coaching** on revenue sharing basis.

For detailed eligibility criteria, terms and conditions, mode of selection, etc., kindly visit DDA website **www.dda.gov.in** (in "Public Notice" and "Tenders" web pages). Details can also be obtained from any of the DDA Sports Complexes.

Detailed proposals (i.e., Technical Bid and Financial Bid) should be submitted to Secretary (Coordn.), Sports Wing, Delhi Development Authority, Siri Fort Sports Complex, August Kranti Marg, New Delhi – 110049 by 08-06-2023 Bids not submitted as per this format shall be rejected.

Commissioner (Sports)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SPORTS WING: COORDN. CELL
SIRI FORT SPORTS COMPLEX, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI-110 049

NIP= 02/PDKP/DDA/2023-24

Sub: Notice Inviting Proposal (NIP) for conducting Basketball coaching at DDA Poorv Delhi Khel Parisar.

BACKGROUND:

1. DDA Poorv Delhi Khel Parisar invites applications from professional sports coaches/agencies for conducting basketball coaching on revenue sharing basis.

2. Presently DDA, Poorv Delhi Khel Parisar has total membership of over 900 members excluding dependents and are utilized by approximately 500 individuals on a monthly basis.

3. Coaching is provided at facilities available at Poorv Delhi Khel Parisar for members aswell as non-members. DDA provides the infrastructure as well as maintains the facilities while professional coaches/coaching agencies provide the coaching.

TERMS AND CONDITIONS:

4. Coaching is provided on revenue sharing basis. The share of coaching charges for all outdoor coaching would be 60:40 between the coach/agency and DDA respectively. However, for facilities for which DDA provides most training aids, and indoor facilities, the ratio of sharing would be 50:50.

5. Mandatory free coaching is to be provided by the coaches/coaching agencies to at least 10% of the trainees from economically weaker sections who have potential in the sport. Extension of coaching contracts would not be provided where the coaches/agencieshave not imparted free coaching to the minimum number of trainees. If the Management considers appropriate to impart coaching to economically weaker section

more than 10% of the total number of trainees, then the Management would pay the coaches/agencies their share of the coaching fees for the additional number of EWS trainees over and above the mandatory 10%.

6. The days of the week and timings for imparting coaching would be decided by the Management as per requirement and availability of facilities.

7. Professional coaches/coaching agencies should submit detailed proposals indicating the preference of sports complex in order of preference. Proposals should contain details of coaches/assistant coaches who would be involved personally in imparting coaching along with their qualifications, experience and achievement as coaches and/or as national and international sports persons. Details of awards for recognition in coaching and achievement of trainees should also be furnished.

8. The agency (if applicant is agency and not an individual) should have prior experience of at least 5 years of imparting coaching in the sport in which it has applied. Coaching experience to be enclosed should be from clubs, govt recognized schools / colleges / other educational institutions, sports federations, govt bodies, etc. If applicant is an individual then he / she should be the head coach.

9. If details of the same Head Coach and other coaches including Asst Coaches are submitted by more than one agency, then evaluation of bids of these agencies would not be done. Besides, coaches, Assistant Coaches and support staff would be required to give undertaking that they have submitted their willingness to be part of coaching programme only for a particular agency and not for any other agency.

10. The documents submitted by the bidder will be self-attested by the authorized signatory of the Agency. The bio-data and certificates of coaches enclosed with applications will be self-attested by the coaches and assistant coaches.

11. A maximum of two sports complexes would be awarded to any coach/coaching agency in any discipline.

12. Sports facilities at the sports complexes during peak hours, i.e., 6.00 a.m. to 8.00 a.m. and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. would generally not be available for coaching and utilization of facilities during these timings would be exclusively for members. However, if there is any spare capacity, as assessed by the Secretary of the complex, coaching can be permitted during these hours also, subject to conditions.

13. At each sports complex, in each discipline generally only one coaching contract would be awarded for a particular level of coaching. However, for different levels of coaching, i.e., basic, intermediate and advance in the same discipline, there can be different coaches/agencies at a particular complex. However, depending on the requirement and availability of facilities, more than one coaching contract in any level of coaching can also be awarded at a sports complex.

14. Differential in coaching rates for members and non-members at all sports complexes would be uniform at 25% additional charges for non-members.

15. The proposed monthly charges to be paid by members should be clearly indicated in figures and words in the financial bid of the proposal. The charges for non-members would be 25% more than that payable by members. Applicable GST would be charged on the coaching fees. The proposed monthly fees to be charged from members should be submitted in a separate sealed envelope as per proforma at Annexure-III. However, over and above the monthly coaching charges, coaches/agencies would not be permitted to charge any refundable/non-refundable entry fees. Coaching charges would be collected by the Poorv Delhi Khel Parisar and the share of the coach/agency would be remitted by NEFT/RTGS by the complex on or before the 7th day of the following month. Trainees would be charged coaching fees for only one month in advance at a time.

16. Rates for similar level of coaching in a particular discipline should be comparable between complexes according to the location and membership profile of the complex.

17. Coaches / agencies would need to clearly state in their proposal details of cost of additional inputs, training aids and playing equipment which they intend to provide to the trainees on request. Specifications and rates for these inputs, equipment, etc., would require to be approved by the management of the complex and would be displayed on the notice board of the sports complex as well as mentioned in the coaching contract. Apart from the items mentioned therein, no other item can be provided to trainees on payment basis. For any change of rates of approved items, prior approval of the management is required to be obtained by the coaches / agencies. Payment for these approved items can be received directly by the coaches/agencies and no share of revenue from these need to be paid to DDA. Any deviation from this would be considered a breach of contract and would be considered at the time of review for extension of coaching contracts.

18. The Head Coach, coaches and assistant coaches whose name the Agency / applicant has included in the proposal at the time of bidding for the NIP, should submit a letter stating they are available and willing to work as coach for the Agency, if the Agency is awarded the Coaching Contract. Coaches / agencies cannot change the Head Coach submitted in their coaching proposal. Change can be permitted in the assistant coaches and support staff for which approval has to be sought from Secretary of the complex. The staff to be replaced with staff who have similar qualifications and experience as these mentioned in the initial proposal which was evaluated. Non compliance will result in termination of coaching contract.

19. Coaches / agencies would indemnify DDA against any injury, loss of life, etc., caused either directly or indirectly due to the training.

20. Coaches / agencies would be solely responsible for participation of trainees in any event not approved by DDA.

21. Coaches / academies would be permitted to include name of DDA while naming/branding their academies.

22. No proposals from clubs would be accepted for coaching.

23. All trainees would require to fill up a form with details of terms and conditions of coaching and also indemnify DDA against any injury, loss of life, etc., caused either directly or indirectly due to the training.

EVALUATION OF PROPOSALS:

24. Evaluation would be strictly on the basis of supporting documents and all statements of qualification, experience and achievements will be marked only if supporting documents are submitted alongwith the proposal.

25. A Committee would evaluate all the proposals received for coaching for basketball at **Poorv Delhi Khel Parisar**. Evaluation would be made on the basis of qualifications, experience of coaches and assistant coaches, achievements as a player, achievements as a coach, technical equipment and training kits proposed to be utilized for coaching, proposed methodology of imparting training and monitoring progress of trainees, etc. Evaluation of the technical bids would be for a total of 80 marks. Financialbids of only those coaches/agencies would be opened who obtain minimum 50 out of 80marks in the evaluation of their technical bids. The 20 marks for financial bids would be evaluated as per the following formula: -

$$\frac{L \times 20}{Rate}$$

Where 'L' is the lowest coaching fees submitted by coach/agency whose financial bid has been opened and 'Rate' is the coaching fees submitted by the coach/agency whose financial bid is being evaluated. Illustration of evaluation of financial bids is as follows: -

Coaching Rate submitted by applicant	Marks out of total 20 for financial bid
Rs. 1000 per month (lowest financial bid)	20
Rs. 1500 per month	13
Rs. 2000 per month	10
Rs. 2500 per month	8
Rs. 3000 per month	6

26. Coaching would be awarded to the coach/agency which secures the highest combined marks from the technical and financial bids. If agencies/coaches obtain the same total marks, then coaching would be awarded to the agency which has obtained the highest marks in technical bid.

OTHER TERMS AND CONDITIONS:

27. Coaching would be awarded on contract for a period of one year, which can be extended annually for a maximum total period of five years. However, coaching contract can be terminated before the total period of five years in case of unsatisfactory performance or non-compliance with the terms and conditions of the contract.

28. Proposed trainer-trainee ratio should be mentioned in the proposal. All proposals should contain detailed profiles of all coaches, assistant coaches and support staff alongwith passport size photographs, identity proof, phone numbers, cell phone numbers and residential address. Performance certificates of coaches/agencies from institutions where they are presently imparting coaching or had imparted coaching inthe past should be submitted.

29. Extension of contracts would be considered annually subject to a maximum tenure of five years. The evaluation would be made on the basis of feedback from trainees, parents/guardians, availability of coaches during training, achievement of trainees, number of trainees, trainer-trainee ratio, revenue generated, training aids, equipment and technology utilized and adherence to the rules and regulations of the sports complex.

30. In addition to regular coaching, special coaching camps, especially during summer vacations for students can also be organized subject to prior approval.

31. The infrastructure allotted by DDA for the coaching will be utilized only for the purpose of coaching and no other activity would be permitted therein.

32. If storage space for training equipment is required, this should be clearly specified in the proposal. However, this would be provided at the discretion of DDA, if such storage space is available, on mutually agreed terms and conditions.

33. All applicants are advised to visit the facility at the sports complex for which they wish to submit proposal for coaching and evaluate the potential before submitting their proposals. No representations will be entertained subsequently in this regard.

34. The bid must be page numbered and total number of pages contained in the proposal should be indicated in the covering letter. DDA would not be responsible if any enclosure is not found attached.

35. If the coach or any of the assistant coaches or support staff are presently working in any government department, government undertaking, public sector undertaking, etc., No Objection Certificate (NOC) of the concerned organization to conduct paid coaching is required to be submitted. If NOC is not submitted and subsequently it comes to notice that the individual had conducted unauthorized paid coaching, coaching contract shallbe terminated.

36. GST registration details should be submitted. However, if the annual income of the coach/agency is less than Rs. 20 lacs, then coach/agency is not liable for GST registration. However, as and when the turnover exceeds Rs. 20 lacs, GST registration will be immediately obtained. An undertaking in this regard is to be submitted by the coach/agency.

37. The Head coach should personally impart coaching. Annual extensions of coaching would not be made if this is not being done.

38. Technical bids should be submitted as per Annexures-I & II and Financial bids as per Annexure-III. Technical and financial bids should be submitted in two separate sealed envelopes superscribed "Technical Bid" and "Financial Bid" respectively clearly mentioning the name of the coach/agency. Both these sealed envelopes should be placed within a separate sealed envelope superscribed "Bids for coaching for **Basketball (discipline)** at Poorv Delhi Khel Parisar.

39. Detailed proposals including all the above aspects should be submitted to Secretary (Coordn.), Sports Wing, Delhi Development Authority, Siri Fort Sports Complex, August Kranti Marg, New Delhi – 110049 latest by 08/06/2023 Incomplete proposals will not be entertained. However, clarifications, if necessary, can be sought by DDA.

Commissioner (Sports)

ANNEXURE-I

TECHNICAL BID
DETAILS OF OFFER FOR COACHING

S. No.	Particulars	Details
1	Name	
2	Registered address	
3	Name of Proprietor/ Director/ Administrative Head/Coach	
4	Type of Ownership	Proprietary/Partnership/Company/LLP
5	Proof of Support of above	Attach documents in support and list the documents attached here
6	Sport	List only one sport here. If more than one sport is sought then separate proposals to be submitted
7	Level/ Nature of Coaching to be offered	List level and if more than one level is offered then the differentiation to be amplified
8	No. of days of coaching/week and timings of coaching proposed (as mentioned in the NIP)	
9	Previous Coaching Experience	Attach documents in support and list the documents attached here
10	Names of Coaches/ Assistant Coaches/ Support staff to impart coaching	Attach annexure if required and list the same here.
11	Qualification of Head Coach	
12	Qualifications of Assistant Coaches	
13	No. of courts/ infrastructure required	Clearly specify the infrastructure required in terms of courts/grounds, duration proposed to be used and timing proposed.
14	Preference of sports complex in order of preference	List in order of preference. Any number can be listed but the allotment will be as per guidelines listed in the terms and conditions.
15	Trainer/ Trainee Ratio proposed	
16	Training Aids/ Equipment to be provided	

Place: Full name and signature of applicant

Date: Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)

Address:

Email:

Cell phone / landline No.

ANNEXURE-II

TECHNICAL BID

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

S.No.	Documents to be submitted	Submitted	Remarks
1	Copy of Registration of firms (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
2	Copy of Registration certificate of EPF (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
3	Copy of Registration Certificate of ESI (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
4	Copy of Labour License (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
5	Copy of Income Tax Return for last 2 years		Attach document as applicable or state not available or applicable
6	Copy of GST Registration		Attach document as applicable or state not available or applicable
7	Copy of PAN/TAN Card		Attach document as applicable or state not available or applicable
8	List of clients with dates		
9	Proof of experience		
10	Last 2 years audited statement from Chartered Accountant		Attach document as applicable or state not available or applicable

Place: Full name and signature of applicant

Date: Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)

Address:

Email:

Cell phone / landline No.

ANNEXURE-III

FINANCIAL BID

1.	Full name of Coach/Authorized signatory and name of agency	
2.	Address, Cell phone number, e-mail ID	
3.	Sports discipline in which coaching is proposed to be conducted	
4.	Names of sports complexes (in order of preference where coaching is proposed to be conducted)	
5.	Number of days per week and timings for proposed coaching (as per NIP)	
6.	Monthly coaching fees for members (25% additional coaching fees for non-members) for each of the above mentioned sports complex(s). (Proposed coaching fees should be mentioned both in figures and words) If there is discrepancy, rate quoted inwords would be considered.	

EVALUATION CRITERIA FOR ASSESSMENT (80 MARKS) OF TECHNICAL BIDS : OTHER THAN DANCE

Name(s) of Coach/Assistant Coaches/Support Staff
who would personally impart coaching :

Sl. No.	Criteria	Total marks	Weightage		Marks awarded	Remarks
1	Technical Qualifications of Coach (NIS qualified/ Federation approved certification/International degree/certification in coaching)	15	NIS degree/ certification	05		
			International degree/certification	05		
			Additional degree/ certification in the sport/sports science	05		
2	Coaching experience in years	15	Upto 5 years	05		
			5 to 10 years	05		
			Above 10 years	05		
3	Achievements as a player	10	Top 3 ranking in national open championship recognized by official federation in the sport	04		
			Medallist in international open meet recognized by official federation in the sport	04		
			Dronacharya/Arjuna/ Major Dhyan Chand Khel Ratna award or similar National award in the sport/multiple champion in international meets	02		
4	Achievements as a Coach	15	Trainee – medallist at national championship recognised by official federation in the sport	05		
			Trainee – medallist in international championship recognized by official federation in the sport	05		
			Multiple trainees – Medallists at national/international championships recognized by official federation in the sport	05		

5	Technical qualifications, experience and achievements of Assistant Coaches and other support staff	15	Technical qualifications of Assistant Coaches	05	
			Experience of Assistant Coaches	05	
			Technical qualifications and experience of other support staff/assistant coaches	05	
6	Technical equipment and training aids proposed to be utilized in coaching and proposed methodology of imparting training and monitoring progress of trainees	10	Technical equipment and training aids	05	
			Methodology for training and monitoring progress	05	
7	Total marks	80			

518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

Proposals for Basketball coaching to be submitted for the following DDA sports complexes:

S. No.	Name of Sports Complexes	Sports / Fitness Disciplines with number of days and timings for coaching in a week		
		Sports/Fitness Disciplines	Number of days for coaching in a week	Timings for each coaching
1.	Poorv Delhi Khel Parisar	Basketball	6 days	04.30 p.m. to 07.30 p.m.

518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल विंग: समन्वय। कक्ष
सिरी फोर्ट खेल परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110 049

NIP= 02/PDKP/DDA/2023-24

डीडीए **पूर्व दिल्ली खेल परिसर** में **बास्केटबाल कोचिंग** प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण, **पूर्व दिल्ली खेल परिसर**, राजस्व साझेदारी के आधार पर **बास्केटबॉल कोचिंग** आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

विस्तृत पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, चयन का तरीका आदि के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in** ("सार्वजनिक सूचना" और "निविदाएं" वेब पेजों में) देखें। डीडीए खेल परिसरों में से किसी से भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत प्रस्ताव (यानी, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049 को 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आयुक्त (खेल)

518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

पूर्व दिल्ली खेल परिसर

ताहिरपुर, दिल्ली-110095

NIP =02/PDKP/DDA/2023-24

विषय: डीडीए पूर्व दिल्ली खेल परिसर में बास्केटबाल कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण (एनआईपी) नोटिस।

<u>पृष्ठभूमि</u> :

1. डीडीए **पूर्व दिल्ली खेल परिसर** राजस्व बंटवारे के आधार पर **बास्केटबाल** कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. वर्तमान में डीडीए **पूर्व दिल्ली खेल परिसर** में आश्रितों को छोड़कर 900 से अधिक सदस्यों की कुल सदस्यता है और परिसर का उपयोग लगभग 500 व्यक्तियों द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।

3. सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों के लिए **पूर्व दिल्ली खेल परिसर** में उपलब्ध सुविधाओं पर कोचिंग प्रदान की जाती है। डीडीए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ सुविधाओं का रखरखाव भी करता है जबकि पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग प्रदान करती हैं।

निबंधन एवं शर्तें:

4. कोचिंग रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। सभी आउटडोर कोचिंग के लिए कोचिंग शुल्क का अंश (शेयर) कोच/एजेंसी और दि.वि.प्रा. के बीच क्रमशः 60:40 होगा। तथापि, उन सुविधाओं के लिए जिनमें दि.वि.प्रा. अधिकतर प्रशिक्षण सामग्री और इनडोर सुविधाएं उपलब्ध कराता है, शेयरिंग का अनुपात 50:50 होगा।

5. प्रशिक्षुओं में से कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे प्रशिक्षुओं को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं और जो खेल में अच्छी क्षमता रखते हैं, को कोच/कोचिंग एजेंसियों द्वारा अनिवार्य निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे कोचिंग अनुबंधों को बढ़ाया नहीं जाएगा, जिनमें कोच/कोचिंग एजेंसी द्वारा प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या को निःशुल्क कोचिंग प्रदान नहीं की गई हो। यदि प्रबंधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कोचिंग हेतु प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक को कोचिंग प्रदान करना उपयुक्त समझता है, तो अनिवार्य 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोच/एजेंसियों को शुल्क का भुगतान प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

6. आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार कोचिंग प्रदान करने के सप्ताह के दिन और समय प्रबंधन द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

7. पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियों को प्राथमिकता के क्रम में खेल परिसर की प्राथमिकता दर्शाते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। प्रस्ताव में कोच/सहायक कोच, जो कोचिंग देने में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहेंगे, की योग्यताएं, अनुभव और कोच/अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपनी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देना चाहिए। कोचिंग के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

8. एजेंसी (यदि आवेदक एक एजेंसी है न कि कोई व्यक्ति) के पास उस खेल में कोचिंग देने का कम से कम 5 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसने आवेदन किया है। संलग्न किया जाने वाला कोचिंग का अनुभव क्लबों, सरकारी पंजीकृत स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स फेडरेशन्स, सरकारी निकायों आदि से होना चाहिए। यदि आवेदक कोई व्यक्ति है तो वह मुख्य कोच होना चाहिए।

9. यदि मुख्य कोच और सहायक कोचों सहित अन्य कोचों का विवरण एक से अधिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इन एजेंसियों की बोलियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोच, सहायक कोच और सहायक स्टाफ को यह शपथपत्र देना होगा कि वे केवल किसी विशेष एजेंसी के कोचिंग प्रोग्राम का ही हिस्सा बनेंगे, किसी अन्य एजेंसी का नहीं।

10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-अनुप्रमाणित होंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए कोच के बायो-डाटा और प्रमाण-पत्र कोच और सहायक कोच द्वारा स्व-अनुप्रमाणित होंगे।

11. किसी भी खेल में किसी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो खेल परिसर सौंपे जाएंगे।

12. प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से 8.00 बजे के तक व्यस्त घण्टों के दौरान खेल परिसरों में खेल सुविधाएं कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इस समय के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, परिसर के सचिव के आकलन के पश्चात् यदि कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो, तो इन घण्टों के दौरान भी कोचिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जो सशर्त दी जाएगी।

13. प्रत्येक खेल परिसर में प्रत्येक खेल में सामान्यतः कोचिंग के एक विशेष स्तर के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध किया जाएगा। तथापि, उसी खेल में विभिन्न स्तरों की कोचिंग के लिए अर्थात् बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत (एडवांस) कोचिंग के लिए किसी विशेष परिसर में भिन्न कोच/एजेंसियां हो सकती हैं। तथापि, खेल परिसर में सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर कोचिंग के किसी भी स्तर पर एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी किए जा सकते हैं।

14. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर को गैर सदस्यों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क द्वारा एक समान किया जाएगा।

15. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सदस्यों की अपेक्षा गैर सदस्यों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा। कोचिंग शुल्क पर लागू जी.एस.टी. वसूल किया जाएगा। सदस्यों से वसूल किया जाने वाला प्रस्तावित मासिक शुल्क अनुलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए। तथापि, मासिक कोचिंग शुल्क के अतिरिक्त कोच/एजेंसियों को कोई

रिफंडेबल/नॉन-रिफंडेबल प्रवेश-शुल्क वसूल करने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग शुल्क संबंधित खेल परिसर द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और कोच/एजेंसी के हिस्से की राशि अगले माह के 7वें दिन अथवा इससे पहले परिसर द्वारा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा भेज दी जाएगी। प्रशिक्षुओं से एक बार केवल एक माह के लिए अग्रिम कोचिंग शुल्क वसूल किया जाएगा।

16. किसी विशेष खेल में कोचिंग के समान स्तर के लिए दरें खेल परिसर के स्थान और सदस्यता प्रोफाइल के अनुसार विभिन्न परिसरों में तुलनीय होंगी।

17. कोच/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट्स, ट्रेनिंग एड और खेल के सामान की लागत के विवरण को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक होगा, जो वे प्रशिक्षुओं को उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवाना चाहते हैं। इन इनपुट्स, सामान आदि के लिए विनिर्दिष्टियां और दरें परिसर के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करवाई जानी अपेक्षित है और इन्हें खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर दर्शाने के साथ-साथ कोचिंग अनुबंध में भी उल्लिखित करना होगा। इसमें उल्लिखित मदों के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को भुगतान आधार पर कोई भी अन्य सामान उपलब्ध नही करवाया जा सकेगा। अनुमोदित मदों की दरों में किसी परिवर्तन के लिए कोच/एजेंसी द्वारा प्रबंधन की ओर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। इन अनुमोदित मदों का भुगतान सीधे कोच/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनमें से राजस्व के किसी भाग का भुगतान दि.वि.प्रा. को करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें किसी भी विचलन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा के समय इस पर विचार किया जाएगा।

18. हेड कोच, कोच और सहायक कोच जिनके नाम एन.आई.पी. हेतु बोली लगाते समय प्रस्ताव में शामिल किए हैं, यदि एजेंसी को कोचिंग करार दे दिया जाता है तो यह वर्णन करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे एजेंसी के लिए कोच के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक हैं। कोच/एजेंसी उनके कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए हेड कोच में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सहायक कोच और सपोर्ट स्टाफ में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए परिसर के सचिव से अनुमोदन लेना पड़ेगा। स्टाफ को ऐसे स्टाफ से बदल दिया जाएगा जिनके पास आरंभिक प्रस्ताव, जिसका मूल्यांकन किया गया था, में वर्णित के समान अर्हता और अनुभव हो। इसका अनुपालन न करने पर कोचिंग करार समाप्त कर दिया जाएगा।

19. प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पहुंचने वाली किसी भी चोट, मृत्यु आदि के लिए कोच/एजेंसियां दि.वि.प्रा. को क्षतिपूर्ति करेंगी।

20. प्रशिक्षुओं द्वारा ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, जो दिविप्रा द्वारा अनुमोदित नहीं है, केवल कोच/एजेंसियां उत्तरदायी होंगे/होंगी।

21. कोच/अकादमियों को अपनी अकादमियों को नाम देने/ब्रांडिंग करते समय दिविप्रा का नाम शामिल करने की अनुमति होगी।

22. कोचिंग के लिए क्लब की ओर से किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. सभी प्रशिक्षुओं को कोचिंग की निबंधन एवं शर्तों के विवरण सहित एक फार्म भरने की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई चोट लगने, मृत्यु होने आदि के लिए दिविप्रा को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

<u>प्रस्तावों का मूल्यांकन:</u>

24. मूल्यांकन पूर्णतया समर्थित दस्तावेजों के आधार पर होगा और अर्हता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी कथन केवल तभी मार्क किए जाएंगे जब सहायक दस्तावेज इस प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर दिए गए हों।

25. प्रत्येक खेल परिसर में किसी विशेष खेल की कोचिंग के लिए प्राप्त किए गए सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन कोच और सहायक उपलब्धियों, कोचिंग के लिए उपयोग के किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की विधि और प्रगति की निगरानी करना आदि के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंक का होगा। वित्तीय बोलियां केवल उन कोच/एजेंसियां की खोली जाएंगी, जो तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 अंकों में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोली के 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार किया जाएगा:-

$$\frac{\text{एल} \times 20}{\text{दर}}$$

'एल' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा किया गया न्यूनतम कोचिंग शुल्क है, जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है 'दर' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा किया गया कोचिंग शुल्क है, जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोली के मूल्यांकन का उदाहरण निम्नानुसार है:-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोचिंग दर	वित्तीय बोली के लिए कुल 20 में से अंक
1000/- रु. प्रति माह (न्यूनतम वित्तीय बोली)	20

1500/- रू. प्रति माह	13
2000/- रू. प्रति माह	10
2500/- रू. प्रति माह	8
3000/- रू. प्रति माह	6

26. कोचिंग ऐसे कोच/एजेंसी को दी जाएगी, जिन्होंने तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में उच्चतम सम्मिलित अंक प्राप्त किए होंगे। यदि एजेंसियां/कोच को कुल अंक एक समान प्राप्त होते हैं, तो कोचिंग उस एजेंसी को दी जाएगी, जिसने तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त किए होंगे।

अन्य निबंधन एवं शर्तें:-

27. कोचिंग को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अवार्ड की जाएगी, जिसे अधिकतम कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तथापि, असंतोषजनक कार्य निष्पादन अथवा अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर कुल पांच वर्ष की अवधि से पूर्व ही कोचिंग अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

28. प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना चाहिए। सभी प्रस्तावों मे सभी कोच, सहायक कोच और सहायक कर्मचारियों के पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर और आवासीय पते सहित विस्तृत प्रोफाइल दिया जाना चाहिए। उन संस्थानों से कोच/एजेंसियों का कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहां वे वर्तमान में कोचिंग प्रदान कर रहे हों अथवा विगत में कोचिंग प्रदान कर चुके हों।

29. अनुबंध को बढ़ाने के लिए वार्षिक आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि की शर्त पर विचार किया जाएगा। प्रशिक्षुओं, उनके माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक, प्रशिक्षण के दौरान कोच की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की उपलब्धियों, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, राजस्व सृजन, प्रशिक्षण सहायता, उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण और तकनीक तथा खेल परिसर के नियमों और विनियमों के अनुपालन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

30. छात्रों के लिए नियमित कोचिंग के अतिरिक्त, विशेष कोचिंग कैंप, विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पूर्व अनुमोदन की शर्त पर आयोजित किए जा सकते हैं।

31. दि.वि.प्रा. द्वारा कोचिंग हेतु आबंटित आधारिक संरचना का उपयोग केवल कोचिंग के लिए ही किया जाएगा और उसमें कोई अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

32. यदि प्रशिक्षण उपकरणों को रखने के लिए स्थान की जरूरत पड़ती है तो प्रस्ताव में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तथापि, यदि इस प्रकार का स्थान उपलब्ध है तो इसे आपसी सहमति की निबंधन एवं शर्तों पर, दि.वि.प्रा. के निर्णय पर प्रदान किया जाएगा।

33. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जिस कोचिंग के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं, उसके लिए खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं को देख लें और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. बोली में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए और प्रस्ताव में शामिल कुल पृष्ठ संख्या को कवरिंग लेटर में दर्शाया जाना चाहिए। यदि कोई अनुलग्नक संलग्न नहीं पाया जाता है, तो दि.वि.प्रा. इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

35. यदि कोच अथवा कोई सहायक कोच अथवा सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में कार्यरत हैं, तो संबंधित संगठन से वैतनिक कोचिंग (पेड कोचिंग) संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में यह जानकारी में आता है कि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत वैतनिक कोचिंग संचालित की है, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

36. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, यदि कोच/एजेंसी की वार्षिक आय 20 लाख रू. से कम है तो कोच/एजेंसी जी.एस.टी. पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तथापि, जब भी टर्नओवर 20 लाख रु. से अधिक हो जाएगा, तो जी.एस.टी. पंजीकरण तत्काल प्राप्त करना होगा। इस संबंध में कोच/एजेंसी द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

37. हैड कोच व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है, तो कोचिंग का वार्षिक विस्तार नहीं किया जाएगा।

38. तकनीकी बोलियाँ अनुलग्नक-। एवं ॥ के अनुसार तथा वित्तीय बोलियां अनुलग्नक-॥। के अनुसार प्रस्तुत की जाएँ। तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ दो अलग मुहरबंद लिफाफों में ऊपर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखकर कोच/एजेंसी के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाएँ। ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक पृथक मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएँ, जिसके ऊपर पूर्वी दिल्ली खेलपरिसर (खेल परिसर/रों) में बास्केटबॉल कोचिंग (खेल) के लिए कोचिंग हेतु बोली" लिखा होना चाहिए।

39. उक्त सभी पहलुओं सहित विस्तृत प्रस्ताव सचिव (समन्वय), खेल विंग, सिरी फोर्ट खेल परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को दिनांक 08-06-2023 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, कोई स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो दि.वि.प्रा. द्वारा पूछा जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

अनुलग्नक-I

तकनीकी बोली

कोचिंग हेतु प्रस्ताव का विवरण

क्र.स.	विवरण	विवरण
1.	नाम	
2.	पंजीकृत पता	
3.	प्रोपराइटर/निदेशक/प्रशासनिक प्रमुख/कोच का नाम	
4.	स्वामित्व का प्रकार	प्रोपराइटरी/साझेदारी/कंपनी/एल.एल.पी.
5.	उपर्युक्त के समर्थन में प्रमाण	इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और दस्तावेजों की सूची यहां संलग्न करें।
6.	खेल	यहां केवल एक खेल की सूची दें। यदि एक से अधिक खेल के लिए आवेदन दिया गया हो तो अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं।
7.	प्रस्तावित कोचिंग का स्तर/प्रकार	स्तर की सूची दें और यदि एक से अधिक स्तर की पेशकश की गई हो, तो खेल के लेवल (स्तर) में यथा अंतर है, उसी सिलसिले से बताएं।
8.	कोचिंग के दिनों/सप्ताह की संख्या और प्रस्तावित कोचिंग का समय (एन.आई.जी में यथा उल्लिखित)	
9.	कोचिंग का पूर्व-अनुभव	
10.	कोचिंग देने वाले कोच/सहायक कोच/सहायक कर्मचारियों के नाम	
11.	प्रमुख कोच की योग्यता	
12.	सहायक कोच की योग्यता	
13.	कोर्ट की संख्या/अपेक्षित आधारिक संरचना	
14.	वरीयता के क्रम में खेल परिसर की प्राथमिकता	

15.	प्रस्तावित प्रशिक्षक/प्रशिक्षु अनुपात	
16.	प्रशिक्षण के साधन/उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण	

स्थान:

तिथि:

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरित का पूरा नाम और हस्ताक्षर (एजेंसी के मामले में)

पता:

ई-मेल:

मोबाइल नम्बर/लैंड लाइन नम्बर:

अनुलग्नक-II

तकनीकी बोली

जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची (चैक लिस्ट)

क्र.सं.	जमा किए जाने वाले दस्तावेज	जमा किए गए	टिप्पणियां
1.	फर्म के पंजीकरण की प्रति (एजेंसी के मामले में)		
2.	ई.पी.एफ. के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		
3.	ई.एस.आई. के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		
4.	लेबर लाइसेंस की प्रति (एजेंसी के मामले में)		
5.	पिछले 2 वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति		
6.	जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति		
7.	पैन/टैन कार्ड की प्रति		
8.	तिथि सहित ग्राहकों (क्लाइंट) की सूची		
9.	अनुभव का प्रमाण		
10.	चार्टेड अकाण्टेन्ट से पिछले 2 वर्ष का लेखा परीक्षित विवरण		

स्थानः

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

तिथिः

प्रतिष्ठान की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरित का पूरा नाम और हस्ताक्षर (एजेंसी के मामले में)

पताः

ई-मेलः

मोबाइल नम्बर/लैंड लाइन नम्बरः

अनुलग्नक:III

वित्तीय बोली

1.	कोच/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और एजेंसी का नाम	
2.	पता, मोबाइल फोन नम्बर ई-मेल आई.डी.	
3.	खेल का प्रकार, जिसमें कोचिंग दी जानी प्रस्तावित है।	
4.	खेल परिसरों के नाम (वरीयता के क्रम में, जहां कोचिंग दी जानी प्रस्तावित है)	
5.	प्रस्तावित कोचिंग हेतु प्रति सप्ताह दिनों की संख्या और समय (एन.आई.जी.के अनुसार)	
6.	ऊपर उल्लिखित प्रत्येक खेल परिसर (परिसरों) हेतु सदस्यों के लिए मासिक कोचिंग शुल्क (गैर-सदस्यों हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त कोचिंग शुल्क) (प्रस्तावित कोचिंग शुल्क का उल्लेख अंकों एवं शब्दों दोनों में होना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो शब्दों में दी गई दर पर विचार किया जाएगा।)	

518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

तकनीकी बोलियों के निर्धारण (80 अंक) हेतु मूल्यांकन मानदंडः नृत्य के अतिरिक्त

उन कोच/सहायक कोच/सहायक कर्मचारियों
के नाम, जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देंगेः-

क्र.सं.	मानदंड	कुल अंक	महत्व/प्राथमिकता देना		दिए गए अंक	टिप्पणी
1.	कोच की तकनीकी योग्यता (एन.आई.एस.योग्यता प्राप्त/फेडरेशन अनुमोदित प्रमाण-पत्र/अंतर्राष्ट्रीय डिग्री/कोचिंग प्रमाण पत्र	15	एन. आई. एस. डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
			अंतर्राष्ट्रीय डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
			खेल/खेल विज्ञान में अतिरिक्त डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
2.	कोचिंग देने का अनुभव (वर्ष में)	15	5 वर्ष तक	05		
			5 से 10 वर्ष तक	05		
			10 वर्ष से अधिक	05		
3.	खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां	10	खेल में ऑफिशियल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में टॉप 3 रैंकिंग	04		
			खेल में ऑफिशियल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओपन मुकाबले में मेडल प्राप्त	04		
			खेल में द्रोणाचार्य/अर्जुन/राजीव/मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अथवा समान स्तर के राष्ट्रीय अवार्ड/अंतर्राष्ट्रीय	02		

			मुकाबलों में मल्टीपल चैम्पियन			
4.	कोच के रूप में उपलब्धियां	15	खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में ट्रेनी-मैडलिस्ट	05		
			खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में ट्रेन-मैडलिस्ट	05		
			खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मल्टीपल ट्रेनीज-मैडलिस्ट	05		
5.	सहायक कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों की तकनीकी योग्यता, अनुभव और उपलब्धियां	15	सहायक कोच की तकनीकी योग्यता	05		
			सहायक कोच का अनुभव	05		
			अन्य सहायक कर्मचारियों/सहायक कोच की तकनीकी योग्यता और अनुभव	05		
6.	कोचिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण साधन तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की प्रस्तावित विधि और प्रगति की निगरानी करना	10	तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण के साधन	05		
			प्रशिक्षण की विधि और प्रगति की निगरानी करना	05		
7.	कुल अंक	80				

518868/2023/O/o SECRETARY (PDKPSC)

निम्नलिखित डीडीए खेल परिसरों के लिए बास्केटबॉल कोचिंग के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं:

सीरीयल नम्बर।	खेल परिसरों का नाम	खेल/स्वास्थ्य विषय एक सप्ताह में कोचिंग के लिए दिनों की संख्या और समय के साथ		
		खेल/स्वास्थ्य अनुशासन	के लिए दिनों की संख्या एक सप्ताह में कोचिंग	प्रत्येक कोचिंग के लिए समय
1.	पूर्व दिल्ली खेल परिसर	बास्केटबाल	6 दिन	सायं 04.30 बजे सायं 07.30 बजे तक